भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
(पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार)
मुख्यालय : ए–13, सैक्टर–1, नौएडा–201 301, (उ० प्र०)
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA
(Ministry of Shipping, Govt. of India)
Head Office : A-13, Sector-1, Noida-201 301 (U.P.)
Website : www.iwai.gov.in | www.iwai.nic.in

Tel. : +91-120-2544036, 2543972, 2527667, 2448101 Fax : +91-120-2544009, 2544041, 2543973, 2521764

F. No. IWAI-11014/66/2020-ADMIN RECTT-Part(4) Dated: 21st Sep, 2021

CIRCULAR

Sub- 1: Implementation of "Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017" with respect to the items, being manufactured in India under license from a foreign manufacturer holding intellectual property right and where there is technology collaboration / transfer of technology agreement – reg.

Sub- 2: Implementation of "Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017" with respect to the items where there is sufficient local capacity and competition in shipbuilding components and where public procurement shall be done only from class-I local suppliers – reg.

Please find enclosed herewith 2 nos. of Notification no. SY-13017/4/2017-SBR, part3 dt. 17.9.2021 on the subjects cited issued by Ministry of Ports, Shipping and Waterways for information and necessary action.

21.9.21

(Neeraj Singh)
Assistant Secretary (A&E)
E-Mail: nsingh@iwai.gov.in
Phone No. 0120-2474050

Encl. as stated

Copy to (By E-Mail):

i) Chief Engineer (Technical)/ Chief Engineer-P.M (JMVP)/ Hydrographic Chief/ Dy. Secretary, (P&C and IT)/ CAO (I/c)/ Director (Hy&Vig.)/ Director (M)/ Director (NER)/ Director (Tr.&L)/ Director (Tech.)/ Deputy Director (NER)/ Deputy Director (Tech), / Assistant Secretary (H&L), IWAI, Noida.
ii) Director, IWAI, Kolkata/ Kocni/ Guwahati/ Vijayawada
iii) Dy. Director, IWAI, Patna
iv) Office In-Charge, NINI, Patna
v) Sub Office Varanasi, Allahabad, Sahibganj, Bhubaneshwar, Dibrugarh, Dhubri.
vi) IT Cell – For uploading on IWAI Website
vii) Hindi Cell – For Hindi Translation
viii) Master Copy / Office Copy

Copy for Information to (By E-Mail):

P.P.S./P.S./P.A. to Chairman / Member (Finance)/ Member (Technical)/ Member (Tr. & L)/, Secretary, IWAI, Noida.

Government of India
Ministry of Ports, Shipping and Waterways
(SBR Section)

Transport Bhawan, Parliament Street
New Delhi - 110001
No. SY-13017/4/2017-SBR, part3 **Dated 17th September, 2021**

NOTIFICATION

Sub: Implementation of "Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017" with respect to the items, being manufactured in India under license from a foreign manufacturer holding intellectual property rights and where there is technology collaboration /transfer of technology agreement.

In pursuance of Department For Promotion of Industry And Internal Trade (DPIIT)'s Order No. P- 45021/2/2017-PP(B.E.II) dated 15.06.2017, 28.05.2018 and 29.05.2019, this Ministry had issued a gazette notification dated 05.05.2020 regarding implementation of "Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017" with respect to the items, being manufactured in India under license from a foreign manufacturer holding intellectual property rights and where there is transfer to technology agreement.

2. Further DPIIT had issued a revised Public Procurement(Preference to Make in India) , Order 2017 dated 04.06.2020 and subsequently on dated 16.09.2020 .In light of mentioned Order , this Ministry's had also issued a Notification for Public Procurement (Preference to Make in India) to provide for Purchase Preference (linked with local content) in respect of Shipbuilding / Ship repairs. In pursuance of above Orders, this ministry's Gazette notification dated 05.05.2020, for the items , being manufactured in India under licence from foreign manufacturer holding intellectual property right and where there is transfer to technology agreement, stands withdrawn.

3. In continuation of this Ministry's notification dated 13.10.2020 and in terms of para 13 of DPIIT's Order No. P- 45021/2/2017-PP(B.E.II) dated 16.09.2020 , the following items are notified as shipbuilding items being manufactured / assembled in India under licence from / collaboration with a foreign manufacturer with clear phasing of increase in local content:

a. Valves

b. Engines

c. Diesel generators

d. Engine Auxiliaries such as service tanks & piping

e. Switch Gears

f. Gas Turbine Assembly, Testing

g. Sewage Treatment Plant

h. Oily Water Separator

4. The suppliers of these items are exempted from meeting the stipulated Local Content . The list of aforesaid suppliers will undergo regular review and the percentage of Local Content can be increased progressively over the years.

5. This issues with the approval of the Competent Authority.

(Vanlalthuom)
Under Secretary to Govt. of India
Ph. 011-23722252
Email: v.thoum@nic.in

1. All Ministries/Department of Government of India
2. Secretary (Coordination), Cabinet Secretariat
3. PS to PM, Prime Minister's Office
4. Vice Chairman, NITI Aayog
5. Director General, Comptroller and Auditor General of India
6. Secretary,DPIIT, Chairman of Standing Committee for implementation of Public Procurement Order, 2017
7. Joint Secretary, DPIIT, Member-Convener of Standing Committee for implementation of Public Procurement Order, 2017
8. Department of Expenditure
9. Director General of Shipping, Mumbai
10. Chairman, IWAI
11. Chairman, DGLL, Noida
12. Chairman of All Major Port Trusts
13. CMDs of SCI, CSL, HDPE Ltd.
14. MD IPA
15. Secretary/President, Shipyards Association of India
16. CEO, INSA
17. Director (Works), Indian Port Rail & Ropeway Corporation Ltd. (IPRCL)
18. Managing Director & Director (Projects), Sagarmala Development Company Limited

Copy also to: 1) PS to Secretary 2) PS to AS (S) 3) PS to all JS / Sr.Economic Advisor/ Adviser 4) Guard File

Government of India
Ministry of Ports, Shipping and Waterways
(SBR Section)

Transport Bhawan, Parliament Street
New Delhi - 110001

No. SY-13017/4/2017-SBR, part3 **Dated 17th September, 2021**

NOTIFICATION

Subject : Implementation of "Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017" regarding the items where there is sufficient local capacity and competition in shipbuilding components and where public procurement shall be done only from class-I local suppliers.

In pursuance of Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)'s Order No. P-45021/2/2017-PP(B.E.II) dated 15.06.2017, 28.05.2018 and 29.05.2019, this Ministry had issued a Gazette notification dated 05.05.2020 regarding implementation of "Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017" regarding the items where there is sufficient local capacity in shipbuilding components and competition and where public procurement shall be done only from local suppliers.

2. Further DPIIT had issued a revised Public Procurement(Preference to Make in India) , Order 2017 dated 04.06.2020 and subsequently on dated 16.09.2020.In furtherance of above - mentioned objective and in compliance of above mentioned order , this ministry had also issued Notification dated October,13 2020 for Minimum Local Content (MLC) in respect of Shipbuilding/Ship repairs.In light of above Orders, this Ministry's above Gazette notification dated 05.05.2020 for the items where there is sufficient local capacity in shipbuilding components and competition and where public procurement shall be done only from local suppliers , stands withdrawn.

3. In continuation of this Ministry's Notification dated 13.10.2020 and in terms of Para 3(a)) of DPIIT's PPP-MII Order No. P- 45021/2/2017-PP(B.E.II) dated 16.09.2020 , the following items in shipbuilding are notified as items where there is sufficient local capacity and competition in shipbuilding and where public procurement is to be carried out only from **class-I local suppliers**, irrespective of purchase value:

a. Rubber/Steel Fenders

b. Cable Installation Material (Cable Rack/Saddle/Hanger/Tray etc)

c. Grating, Chequered Plates

d. Hand Tools

e. Cable Ties/Cable hangers

f. Galvanised Sheet

4. The list of probable class-I suppliers of above items is annexed. The list is only indicative in nature. There may be other class-I local suppliers also available in the market. Also, suppliers indicated in the list may offer products which do not offer MLC requirement for Class-I local supplier. As such procuring entities may follow all prescribed procurement procedure without relying on the annexed list.

5. This issues with the approval of the Competent Authority.

(Vanlalthuom)
Under Secretary to Govt. of India
Ph. 011-23722252
Email: v.thoum@nic.in

1. All Ministries/Department of Government of India
2. Secretary (Coordination), Cabinet Secretariat
3. PS to PM, Prime Minister's Office
4. Vice Chairman, NITI Aayog
5. Director General, Comptroller and Auditor General of India
6. Secretary, DPIIT, Chairman of Standing Committee for implementation of Public Procurement Order, 2017
7. Joint Secretary, DPIIT, Member-Convener of Standing Committee for implementation of Public Procurement Order, 2017
8. Department of Expenditure
9. Director General of Shipping, Mumbai
10. Chairman, IWAI
11. Chairman, DGLL, Noida
12. Chairman of All Major Port Trusts
13. CMDs of SCI, CSL, HDPE Ltd.
14. MD IPA
15. Secretary/President, Shipyards Association of India
16. CEO, INSA
17. Director (Works), Indian Port Rail & Ropeway Corporation Ltd. (IPRCL)
18. Managing Director & Director (Projects), Sagarmala Development Company Limited

Copy also to: 1) PS to Secretary 2) PS to AS (S) 3) PS to all JS / Sr.Economic Advisor/ Adviser 4) Guard File

भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(एसबीआर अनुभाग)

परिवहन भवन, संसद मार्ग

नई दिल्ली- 110001

संख्या. एसवाई- 13017/4/2017- एसबीआर, भाग-3 दिनांक 17 सितंबर, 2021

अधिसूचना

विषय: ऐसी मदों, जहां पोत निर्माण घटकों के लिए पर्याप्त स्थानीय क्षमता और प्रतिस्पर्धा है और जहां केवल श्रेणी-। स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से ही सार्वजनिक खरीद की जाएगी, के संबंध में ''सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017'' का कार्यान्वयन।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के आदेश संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बी.ई.॥) दिनांक 15.06.2017, 28.05.2018 और 29.05.2019 के अनुसरण में इस मंत्रालय ने ऐसी मदों, जहां पोत निर्माण घटकों के लिए पर्याप्त स्थानीय क्षमता और प्रतिस्पर्धा है, और जहां केवल श्रेणी-। स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से ही सार्वजनिक खरीद की जाएगी, के संबंध में ''सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017'' के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 05.05.2020 को राजपत्र अधिसूचना जारी की थी।

2. इसके बाद डीपीआईआईटी ने दिनांक 04.06.2020 को और तत्पश्चात् दिनांक 16.09.2020 को संशोधित सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 जारी किया था। ऊपर उल्लेखित उद्देश्य को बढावा देने के लिए और उपर उल्लिखित आदेश के अनुसरण में, इस मंत्रालय ने भी पोत निर्माण/ पोत मरम्मत के संबंध में न्यूनतम स्थानीय सामग्री (एसएलसी) के लिए दिनांक 13 अक्तूबर, 2020 को अधिसूचना जारी की थी। उपर्युक्त आदेशों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी मदों जहां पोत निर्माण घटकों के लिए पर्याप्त स्थानीय क्षमता और प्रतिस्पर्धा है और जहां केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से ही सार्वजनिक खरीद की जाएगी, से संबंधित मंत्रालय की दिनांक 05.05.2020 की उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचना को वापस लिया जाता है।

3. इस मंत्रालय की दिनांक 13.10.2020 की अधिसूचना के क्रम में और डीपीआईआईटी के दिनांक 16.09.2020 के पीपीपी-एमआईआई आदेश संख्या पी- 45021/2/2017-पीपी (बी.ई.॥) के पैरा-3 (क) की शर्तों के अनुसार पोत निर्माण में निम्नलिखित मदों को, खरीद मूल्य को ध्यान में नहीं रखते हुए, ऐसी मदों के रूप में अधिसूचित किया जाना है, जहां पोत निर्माण के लिए पर्याप्त स्थानीय क्षमता और प्रतिस्पर्धा है और जहां केवल श्रेणी-। स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से ही सार्वजनिक खरीद की जानी है:

क. रबड़/स्टील फैंडर्स

ख. केबल इंस्टोलेशन सामग्री (केबल रैक/सेडल/हैंगर/ट्रे आदि)

ग. ग्रैटिंग, चेकर्ड प्लेट्स

घ. हैंड टूल्स

ङ. केबल टाईस /केबल हैंगर्स

च. गेलवनाईज्ड शीट

4. उपर्युक्त मदों के श्रेणी-। आपूर्तिकर्ताओं की सूची अनुबंध में दी गई है। यह सूची केवल सांकेतिक प्रकृति की है। बाजार में अन्य श्रेणी-। स्थानीय आपूर्तिकर्ता भी हो सकते है। इसके अतिरिक्त, सूची में दिए गए आपूर्तिकर्ता ऐसे उत्पाद प्रदान कर सकते हैं, जो श्रेणी-। स्थानीय आपूर्तिकर्ता के लिए एमएलसी अपेक्षा पूरी नहीं करते हैं। इसलिए खरीद करने वाली निकायों द्वारा अनुबंध में दी गई सूची पर निर्भर न होते हुए सभी निर्धारित खरीद प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(वानलालथोम)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23722252
ई-मेल: v.thoum@nic.in

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सचिव (समन्वय), मंत्रिमंडल सचिवालय
3. प्रधान मंत्री के निजी सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग
5. महानिदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
6. सचिव, डीपीआईआईटी, सार्वजनिक खरीद आदेश, 2017 के कार्यान्वयन के लिए स्थायी समिति के अध्यक्ष
7. संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी, सार्वजनिक खरीद आदेश, 2017 के कार्यान्वयन के लिए स्थायी समिति के सदस्य-समन्वयकर्ता
8. व्यय विभाग
9. नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
10. अध्यक्ष, आईडब्ल्यूएआई
11. अध्यक्ष, डीजीएलएल, नोएडा
12. सभी महापत्तन न्यासों के अध्यक्ष
13. मुख्य प्रबंध निदेशक, एससीआई, सीएसएल, एचडीपीई लि.।
14. प्रबंध निदेशक, आईपीए
15. सचिव/ अध्यक्ष, भारतीय शिपयार्ड संघ
16. सीईओ, आईएनएसए
17. निदेशक (वर्क्स), इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कारपोरेशन लि. (आईपीआरसीएल)
18. प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (परियोजनाएं), सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड।

प्रतिलिपि: 1) सचिव के निजी सचिव 2) अपर सचिव (पोत परिवहन) के निजी सचिव 3) सभी संयुक्त सचिव/वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार/सलाहकार के निजी सचिव 4) गार्ड फाइल।

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
(एसबीआर अनुभाग)

परिवहन भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110 001

सं. एसवाई-13017/4/2017-एसबीआर, भाग 3 दिनांक: 17 सितंबर, 2021

अधिसूचना

विषय: बौद्धिक संपदा अधिकार धारित करने वाले किसी विदेशी निर्माता से लाइसेंस के अंतर्गत और जहां प्रौद्योगिकी सहयोग/प्रौद्योगिकी समझौते का हस्तांतरण होता है, भारत में निर्मित की जा रही वस्तुओं के संबंध में ''सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017'' का कार्यान्वयन।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के दिनांक 15.06.2017, 28.05.2018 और 29.05.2019 के आदेश सं. पी-45021/2/2017-पीपी (बीई.II) के अनुसरण में इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.05.2020 को बौद्धिक संपदा अधिकार धारित करने वाले किसी विदेशी निर्माता से लाइसेंस के अंतर्गत और जहां प्रौद्योगिकी सहयोग/ प्रौद्योगिकी समझौते का हस्तांतरण होता है, भारत में निर्मित की जा रही मदों के संबंध में ''सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017'' से संबंधित राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी।

2. इसके बाद, डीपीआईआईटी द्वारा दिनांक 04.06.2020 और तत्पश्चात् दिनांक 16.09.2020 को एक संशोधित सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 जारी किया गया था। उल्लिखित आदेश को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रालय द्वारा भी पोत निर्माण/पोत मरम्मत के संबंध में खरीद वरीयता (स्थानीय सामग्री के साथ जुड़ी) हेतु सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। उपरोक्त आदेशों के अनुसरण में बौद्धिक संपदा अधिकार धारित करने वाले किसी विदेशी निर्माता से लाइसेंस के अंतर्गत और जहां प्रौद्योगिकी सहयोग/प्रौद्योगिकी समझौते का हस्तांतरण होता है, भारत में निर्मित की जा रही मदों के लिए इस मंत्रालय की दिनांक 05.05.2020 की राजपत्र अधिसूचना वापस ली जाती है।

3. इस मंत्रालय की दिनांक 13.10.2020 की अधिसूचना के क्रम में और डीपीआईआईटी के दिनांक 16.09.2020 के आदेश सं. पी-45021/2/2017-पीपी (बीई.II) के पैरा 13 की शर्तों के अनुरूप, निम्नलिखित को स्थानीय सामग्री में चरणबद्ध रूप से सुस्पष्ट बढ़ोतरी करने के साथ किसी विदेश निर्माता से लाइसेंस/सहयोग के अंतर्गत भारत में निर्मित/असेम्बल की जा रही पोत निर्माण मदों के रूप में अधिसूचित किया जाना है:

क. वॉल्व
ख. इंजन
ग. डीजल जनरेटर
घ. इंजन सहायक वस्तुएं जैसे सर्विस टैंक एवं पाइपिंग
ङ. स्वीच गेयर

च. गैस टरबाईन असेम्बली, टेस्टिंग
छ. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
ज. ऑयली वॉटर सेपरेटर

4. इन मदों के आपूर्तिकर्ताओं को अनुबद्ध स्थानीय घटक को पूरा करने में छूट है। पूर्वोक्त आपूर्तिकर्ताओं की सूची की नियमित समीक्षा की जाएगी और आगामी वर्षों में स्थानीय घटक के प्रतिशत को धीरे-धीरे प्रगतिशील रूप से बढ़ाया जा सकता है।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(वानलालथोम)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23722252
ई-मेल: v.thoum@nic.in

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सचिव (समन्वय), मंत्रिमंडल सचिवालय
3. प्रधान मंत्री के निजी सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग
5. महानिदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
6. सचिव, डीपीआईआईटी, सार्वजनिक खरीद आदेश, 2017 के कार्यान्वयन के लिए स्थायी समिति के अध्यक्ष
7. संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी, सार्वजनिक खरीद आदेश, 2017 के कार्यान्वयन के लिए स्थायी समिति के सदस्य-समन्वयकर्ता
8. व्यय विभाग
9. नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
10. अध्यक्ष, आईडब्ल्यूएआई
11. अध्यक्ष, डीजीएलएल, नोएडा
12. सभी महापत्तन न्यासों के अध्यक्ष
13. मुख्य प्रबंध निदेशक, एससीआई, सीएसएल, एचडीपीई लि.।
14. प्रबंध निदेशक, आईपीए
15. सचिव/ अध्यक्ष, भारतीय शिपयार्ड संघ
16. सीईओ, आईएनएसए
17. निदेशक (वर्क्स), इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कारपोरेशन लि. (आईपीआरसीएल)
18. प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (परियोजनाएं), सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड।

प्रतिलिपि: 1) सचिव के निजी सचिव 2) अपर सचिव (पोत परिवहन) के निजी सचिव 3) सभी संयुक्त सचिव/वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार/सलाहकार के निजी सचिव 4) गार्ड फाइल।